



## कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक....५८१५...(ii)/रा०,

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता, राँची।

सेवा में.

उप समाहर्त्ता जिला विधि शाखा, राँची।

दिनांक 20/59/2022

विषय:— B.L.R.Act 1950 की धारा—4(h) के तहत संदिग्ध जमाबंदी (अंचल नामकुम, के विभिन्न मौजा एवं खाता) के मूल अभिलेखों का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि नामकुम अंचल के विभिन्न मौजा एवं खाता के भूमि का मूल अभिलेख B.L.R.Act 1950 की धारा—4(h) के तहत पेजींग उपरांत अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर मूल में भेजा जा रहा है, जो निम्नवत है:—

क्र0	विविध वाद संख्या	AC TR no.	रैयत का नाम
1	24 / 16-17	339 / 18-19	भाकू लोहार
2	25 / 16—17	341 / 18-19	लोदा उरांव
3	528 / 16—17	324 / 18-19	करमा महतो
4	527 / 16—17	329 / 18-19	करमा महतो व पुरन महतो
5	487 / 16-17	330 / 18-19	नकुल लोहार
6	388 / 16-17	334 / 18-19	फगुवा उरांव
7	23 / 16-17	338 / 18-19	महादेव उरांव
8	254 / 16-17	325 / 18-19	संध्या सिंह
9	493 / 16-17	321 / 18-19	चरकु बैठा
10	251 / 16-17	322 / 18-19	सुनिता कुमारी
11	489 / 16-17	323 / 18-19	बुका महतो
12	477 / 16-17	326 / 18-19	जीतवाहन महतो
13	498 / 16-17	331 / 18-19	तेजनाथ महतो एवं अन्य
14	526 / 16-17	328 / 18-19	विश्राम महतो
15	253 / 16-17	316 / 18-19	ललिता देवी
16	481 / 16-17	317 / 18-19	गणेश लोहार
17	587 / 16-17	319 / 18-19	माधो कोटवार
18	252 / 16-17	320 / 18-19	वीणा देवी
19	110 / 16-17	308 / 18-19	शेख रमजान
20	488 / 16-17	312 / 18-19	अगना बैठा
21	479 / 16-17	313 / 18-19	धनंजय नाथ मिश्रा एवं अन्य

97.9.92

F/2022/January 2022/Nikhil2022/222

		314 / 18-19	धनंजय नाथ मिश्रा एवं अन्य
22	480 / 16—17		सुखनाथ नायक
23	483 / 16-17	315 / 18-19	डी0ओ0 सेवरिन आर0सी0मिशन
24	398 / 16-17	305 / 18-19	डा०आ० सवारम जारवराजामराम

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर समाहर्त्ता, र्भेश्वी